# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
# (जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 17/2026
जीसीएमएस सं. 2026/54
ऑन लाईन अपील सं.218253575368380/2026

| प्रार्थी/अपीलार्थी :– | | अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः– |
|---|---|---|
| श्री भविनराज सिंह चौहान, निवासी अरथुना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाडा | बनाम | तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.) |

## निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 08–05–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन **218611687017601** दिनांक **23–03–2026** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)** द्वारा उपलब्ध करवाये जाने पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **27–04–2026** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक **08–05–2026** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना कार्यालय के पत्रांक 448 दिनांक 17.04.2026 (आनलाईन Outward Number 5251244646 Outward Date 17-04-2026) से सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

है की सूचना प्रार्थी को दी गई जिसकी प्रति संलग्न है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजुद है। आवेदक द्वारा चाही जाने वाली सूचना पहले से कार्यालय में मौजुद नही है व प्रश्नगत के साथ तर्क–वितर्क सम्बन्धित है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन **218611687017601** दिनांक **23–03–2026** से 5 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)** के पत्रांक 448 दिनांक 17.04.2026 (आनलाईन Outward Number 5251244646 Outward Date 17-04-2026) से सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया है।

बिन्दु सं. 1 से 3 द्वारा चाही गई सूचना लोक प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नही होने से एवं बिन्दु सं. 4, 5 से वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने से **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा** (राज.) ने अपीलार्थी का प्रश्नगत प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना अपेक्षित नही है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है।

**तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)** के पत्रांक 448 दिनांक 17.04.2026 (आनलाईन Outward Number 5251244646 Outward Date 17-04-2026) से सूचना के सन्दर्भ में अपीलार्थी को अवगत कराया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही होने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **08–05–2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गयझ

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)